(d) the mode of recovery of development cost by OIL and ONGC; and

(e) the mode of recovery of exploration and development cost by the private parties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T. R. BAALU) (a) during the last five years Government of India has approved award of contracts for development of 30 discovered ofl & gas fields by Indian/foreign private companies. Contracts have been signed for 18 fields.

(b) ONGC and OIL had invested Rs. 1045.83 crores on the 18 fields, for which
contracts have been signed.

(c) In case of medium sized fields the production is shared between OIL/ ONGC and private parties in the ratio of 40:60. For small-sized fields, ONGC/OIL have no participating interest.

(d) and (e) The amount of development cost will be recovered as per the annual production allocated towards the cost recovery in the bids submitted by the companies and will be shared between the companies according to their Participating Interest.

Enron Project

2893. SHRI VAYALAR RAVI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of the renewed contract between the Enron and the Maharashtra Government; and

(b) whether any study has been made on the impact of increase in the price of electricity in the second stage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The key details of the revised Power Purchase Agreement for Dabhol Power Project as intimated by the Maharashtra State Electricity Board (MSEB) are:—

i. Capital cost is reduced to Rs. 8032 Crores (with regasification plant) from earlier Rs. 9030 crores.

ii. Exportable capacity of Phase-I & Phase-II will be 740 MW & 1444 MW instead of 695 MW & 1320 MW respectively,in the old agreement.

iii. For Phase-1 Naphtha will be used as primary fuel and after commissioning of Phase-II LNG will be the primary fuel.

iv. MSEB or its nominee will take part in Dabhol Power Company (DPC) equity upto 30%.

v. Foreign currency linkage is reduced to 40% for Phase-I and 70% for Phase-II instead of 95% in old agreement.

vi Capital recovery charge rise at the rate of 4% for Phase-I will be applicable only for the period till Phase II is commissioned.

vii. Provision for additional environmental safeguard in addition to the penal action for violation of pollution standards are incorporated.

(b) MSEB has intimated that as the cost of Phase-II is reduced, there is no rise in the price of electricity.

राज्यों को केन्द्रीय सहायता में कमी किया जाना

2894. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता राशि की मंजूरी दी गई थी;

(ख) राज्यों को बकाया राशि के कारण मूल राशि से कितनी राशि कम की गई थी;

(ग) क्या ऐसी कटौतियों के विरुद्ध गुजरात सहित कतिपय राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार चालू वर्ष और आगामी वर्षों के दौरान इस कटौती नीति को जारी रखने का विचार रखती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों को

आवंटित केंद्रीय सहायता की राशि विवरण-I में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यों को आवंटित केंद्रीय सहायता से बकाया देय के रूप में काटी गई राशि का उल्लेख विवरण-II में किया गया है (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों (गुजरात सहित) ने ऐसी कटौतियों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। फिर भी, राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी एस) द्वारा निरंतर चूक करने और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सी पी एस यू एस) की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31.3.1994 तक की राज्य विद्युत बोर्डों (एस ई बी एस) की बकाया धनराशि को 1990-91 से आगे राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय योजना सहायता के पुनर्विनियोजन द्वारा वसूल किया जा रहा है। उक्त बकाया धन राशियों की वसूली 1997-98 तक पूरी कर दी जाएगी।

विवरण-I

1993-94, से 1994-95 और 1995-96 की राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का सकल आवंटन

(करोड़ रुपये)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
क. विशेष श्रेणी			
1. अरूणाचल प्रदेश	277.49	306.87	413.80
2. असम	846.99	898.67	984.24
3. हिमाचल प्रदेश	333.07	386.37	501.50
4. जम्मू व कश्मीर	790.44	839.83	1042.25
5. मणिपुर	207.70	248.37	293.33
6. मेघालय	183.50	236.85	244.20
7. मिजोरम	177.48	216.68	258.48
8. नागालैंड	187.05	252.90	285.90
9. सिक्किम	107.96	134.96	173.51
10. त्रिपुरा	224.58	251.10	295.22
जोड़ : क	3336.26	3772.60	4492.43
ख. गैर विशेष श्रेणी			
1. आंध्र प्रदेश	607.50	747.50	777.50
2. बिहार	870.31	957.31	1055.11
3. गोवा	43.00	50.34	58.34
4. गुजरात	255.22	281.55	331.08
5. हरियाणा	158.37	198.71	215.37
6. कर्नाटक	280.34	308.15	379.15
7. केरल	369.28	384.88	428.08
8. मध्य प्रदेश	536.03	567.03	670.03
9. महाराष्ट्र	438.24	460.24	570.24
10. उड़ीसा	339.90	379.90	438.34
11. पंजाब	162.92	169.26	217.92
12. राजस्थान	396.51	438.51	484.56
13. तमिलनाडु	550.92	654.14	670.14
14. उत्तर प्रदेश	1192.80	1293.80	1511.93
15. पश्चिम बंगाल	463.54	524.64	618.78
जोड़: ख	6664.88	7415.96	8426.57
जोड़: (क+ख)	10001.14	11188.56	12919.00

विवरण-II

1993-94, से 1995-96 के दौरान केन्द्रीय संक्षपत्र में से समायोजित की गई राज्य-विशेष मदों की अधिशेष राशियां

(करोड़ रुपये)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
क. विशेष श्रेणी			
1. अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.70	0.43
2. असम	35.15	53.51	53.52
3. हिमाचल प्रदेश	1.59	5.01	5.01
4. जम्मू व कश्मीर	0.00	66.94	66.94
5. मणिपुर	5.07	10.01	10.03
6. मेघालय	0.17	0.27	0.28
7. मिजोरम	0.00	0.79	0.79
8. नागालैंड	0.28	2.01	2.01
9. सिक्किम	0.27	0.04	0.04
10. त्रिपुरा	0.16	2.33	2.32
जोड़ : क	42.80	141.61	141.37
ख. गैर विशेष श्रेणी			
1. आंध्र प्रदेश	19.15	7.26	7.20
2. बिहार	255.51	238.15	238.22
3. गोवा	0.10	0.00	0.00
4. गुजरात	71.40	30.33	30.32
5. हरियाणा	89.71	120.46	120.57
6. कर्नाटक	9.80	4.71	4.70
7. केरल	15.49	14.33	14.35
8. मध्य प्रदेश	95.78	30.84	30.83
9. महाराष्ट्र	50.03	3.02	3.01
10. उड़ीसा	15.98	10.68	10.68
11. पंजाब	39.93	11.53	8.19
12. राजस्थान	82.55	50.78	50.77
13. तमिलनाडु	49.20	16.33	16.32
14. उत्तर प्रदेश	326.63	160.00	160.00
15. पश्चिम बंगाल	82.34	63.24	63.32
जोड़: ख	1203.60	761.66	758.48
जोड़: (क+ख)	1246.40	903.27	899.85

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग

2895. **श्री अजीत जोगी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जन-संख्या के बीच गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाने हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा आयोजित घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता